हुक्म

C.No. 49/2025 [illegible] V/S [illegible]

20/1/25	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उप. वकील उभयपक्ष की प्रा०पत्र 111, 128 LR Act पर बहस सुनी गई। अप्रार्थी न. 01 2,4,9,10,11,12,13 को अविवक्ता द्वारा आपत्ति जाहिर की गई। अप्रार्थी 3,5,6 7,8,12,14 व 17 बावजूद तामिल के अनु० है अतः एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। प्रा०पत्र 111, 128 LR Act स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से तैयार कर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नत्थी रिकार्ड हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी श्री रजत यादव (आई.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 49/2025

1. संजय पापरीवाल पुत्र प्रेमचन्द जैन उम्र व्यस्क जाति जैन निवासी जैन कटला बाजार के बाहर जयपुर रोड़ जिला अजमेर, राजस्थान ।
2. सुरेश कुमार जामड पुत्र सम्पंत सिंह जामड उम्र व्यस्क जाति ओसवाल निवासी मकान संख्या 274 कॉलोनी सदर बाजार डिंडवाडा तह. किशनगढ जिला अजमेर, राजस्थान ।
3. रोनक जैन पुत्र सुरेश जैन उम्र व्यस्क ग्राम डिंडवाडा तहसील किशनगढ जिला अजमेर, राजस्थान।
4. धैर्य जैन पुत्र पुनीत कुमार जैन उम्र व्यस्क जाति जैन निवासी मैन चौराहा कटला बाजार मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर, राजस्थान।
5. मंयक जामड पुत्र सुरेश जामड जाति ओसवाल उम्र व्यस्क निवासी 274 कॉलोनी सदर बाजार डिंडवाडा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर, राजस्थान ।
6. अलका जैन पत्नी संजय जाति जैन उम्र व्यस्क निवासी कटला बाजार के बाहर मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर, राजस्थान ।
7. रेखा जामड पत्नी सुरेश जामड जाति ओसवाल उम्र व्यस्क निवासी सदर बाजार डिंडवाडा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर, राजस्थान ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्योनारायण पुत्र भंवरा
2. नन्दलाल पुत्र हनुमान
3. कुमकुम पुत्री पूसा
4. कमलेश पुत्र हीरा नाबालिग जरिये सरंक्षक माता भगवती देवी पत्नी पूसा
5. तरूण पुत्र पूसा नाबालिग जरिये संरक्षक माता भगवती देवी पत्नी पूसा
6. कविता पुत्री पूसा
7. नर्बदा पत्नी हीरा
8. भगवती पत्नी पूसा
9. सीताराम पुत्र हीरा नाबालिग जरिये संरक्षक माता नर्बदा पत्नी हीरा
10. गोपाल पुत्र गोकूल
11. धूकलराम पुत्र गोकूल
12. रोडु पुत्र गोकूल
13. श्रीकिशन पुत्र गोकूल

सर्व जाति यादव सर्व निवासीगण ग्राम पाटन तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

14. निशा कोठारी पत्नी संदीप कोठारी जाति जैन निवासी शिवाजी नगर मदनगंज किशनगढ, जिला अजमेर राजस्थान ।
15. रेखा कालिका पत्नी मनोज कुमार कालिका जाति जैन निवासी किशनगढ प्राईड अजमेर रोड मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
16. रचना जैन पत्नी मुकेश गंगवाल जाति जैन निवासी कुसुम विहार कॉलोनी मदनंगज किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
17. भू-धारी तहसीलदार , तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान ।

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित वकील प्रार्थी श्री रामदेव गुर्जर

व वकील अप्रार्थी श्री भवानी सिंह दिनांक 28.01.2026

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता श्री रामदेव गुर्जर के द्वारा अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण कि सहखातेदारी की आराजी ग्राम पाटन पटवार हल्का पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है जो निम्न प्रकार से है कि (अ) यह कि प्रार्थी संख्या 1 व 2 कि संयुक्त खातेदारी कि आराजी ग्राम पाटन के खसरा नम्बर 949/499 रकबा 0.6472 हैक्टेयर जिसमे प्रार्थी संख्या 1 व 2 संयुक्त खातेदार हैं। जिसमें प्रत्येक का 1/2–1/2 हिस्सा निहित हैं एंव प्रार्थी संख्या 1 व 3 कि ग्राम पाटन में आराजी खसरा नम्बर 945/496 हैक्टेयर 0.3479 भूमि है जिसमें प्रत्येक का 1/2–1/2 हिस्सा निहित हैं एंव प्रार्थी संख्या 4 व 5 कि सयुंक्त आराजी ग्राम पाटन के खसरा नम्बर 948/499 रकबा 0.4045 जिसमें प्रार्थी संख्या 4 व 5 का 1/2–1/2 हिस्सा निहित हैं प्रार्थी संख्या 6 व 7 कि संयुक्त खातेदारी कि आराजी ग्राम पाटन के खसरा नम्बर 956/499 रकबा 0.3236 व खसरा नम्बर 959/499 रकबा 0. 3641 हैक्टेयर भूमि है जिसमे प्रत्येक का 1/2–1/2 हिस्सा निहित है इसी अनुसार मोके पर काबिज काश्त हैं। उपरोक्त वर्णित आराजीयात कि चतुर्थ सीमा निम्न प्रकार से है एवं चतुर्थ सीमा में काबिज काश्त अधिकार अभिलेख में इन्द्राज खातेदारो को प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित किया जा रहा है। उत्तर :– खसरा नम्बर 946/499 राष्ट्रीय राजमार्ग (एन.एच. 8), दक्षिण :– अप्रार्थी सख्या 10 से 13 कि आराजी खसरा नम्बर 960/499, पूर्व अप्रार्थी संख्या 14 से 16 कि आराजी खसरा नम्बर 971/499 व अप्रार्थी संख्या 1 कि आराजी खसरा नम्बर 952/499 एंव अप्रार्थी संख्या 2 कि आराजी खसरा नम्बर 955/499,अप्रार्थी संख्या 1 कि आराजी खसरा नम्बर 499 एव अप्रार्थी 3 लगायत 9 की आराजी खसरा नम्बर 957/499 व 496 उपरोक्त सीमा मध्य स्थित कृषि भूमि उपरोक्त सीमा मध्य के स्थित है जो संलग्न नजरी नक्शा/राजस्व ट्रेस के अनुसार प्रार्थना पत्र में चतुर्थ सीमा में स्थित खातेदारान को पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रार्थीगण संयुक्त रूप आराजी ग्राम पाटन पटवार हल्का पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में अवस्थित है उपरोक्त वर्णितानुसार सहखातेदारी की आराजीयात है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 16 द्वारा आये दिन सींव (सीमा) को लेकर विवाद करते रहते है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 16 एवं परिवारजन के द्वारा प्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि की नींव–सींव उखाड़ने पर आमादा हो जाते है एवं प्रार्थीगण की आराजी पर ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थीगण काफी परेशान है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 16 द्वारा आये दिन प्रार्थीगण की आराजी की मेड़, सींव, नींव को लेकर विवाद उत्पन्न करके प्रार्थीगण की आराजी में ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा हो गये। तत्पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान बाबत् प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 31.01.2025 को सीमाज्ञान अप्रार्थी संख्या 17 के निर्देशानुसार किया गया है पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 31.01. 2025 को कराया गया है जिसकी प्रति संलग्न है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 16 एवं उनके परिवारजन के द्वारा सीमा चिन्ह (मेड़) को हटाते हुए प्रार्थीगण की सह–खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी में ब्लात अतिचार करने पर आमादा हो जाते है। जिससे प्रार्थीगण की आराजी में पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है चूंकि प्रार्थीगण एवं मौके पर बार–बार आकर अप्रार्थीगण द्वारा अवैधानिक कृत्य को रोका जाना संभव नहीं है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक हुआ है। जिससे सीमाओं का विवाद समाप्त हो सकता है एवं सीमाओं को लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो इस कारण से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा सद्भाविक रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 16 आपस में पड़ौसी खातेदार है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 16 एवं उनके परिवारजन के द्वारा बिजाई, बुवाई के दिनो में प्रार्थीगण की सींव, मेड़ को उखाड़ने पर आमादा हो जाते है एवं प्रार्थीगण की आराजी पर ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर उतारू है। जिससे प्रार्थीगण व प्रार्थीगण का परिवार काफी परेशान है। प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय में अपनी स्वयं कि आराजी में चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करवाने हेतु सद्भाविक रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, प्रार्थना पत्र में सभी चतुर्थ सीमा में स्थित पडौसी खातेदार की वस्तुस्थिती का वर्णन किया गया है एवं पक्षकार संयोजित किया गया है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा धारा 111 भू–राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

अधिनियम 1956 में पारित शर्तों कि व निमगो कि पालना करते हुये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण दिनांक 12.02.2025 को उत्पन्न हुआ अप्रार्थीगण द्वारा गौके पर मेड, सींव, नीव को लेकर विवाद उत्पन्न किया तब प्रार्थीगण की आराजी का सीगाज्ञान दिनांक 31.01.2025 को पटवारीं हल्का द्वारा किया गया है। जिसके अनुसार प्रार्थीगण काबिज काश्त है परतु अप्रार्थीगण द्वारा सींमाज्ञान से असंतुष्टी जाहीर कि गई हैं। अप्रार्थीगण अवैधानिक रूप से आराजी में नीय, सींव, मेड़ को लेकर विवाद करने से एवं प्रार्थीगण की आराजी में मेड़, सींव, नींव को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ एवं नींव, सींव से सम्बन्धित विवाद उत्पन्न होने से प्रार्थीगण द्वारा जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करके अधिवक्ता से सम्पर्क कर उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। तब से प्रार्थना पत्र कारण निरन्तर जारी है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र 'पेश करना आवश्यक हुआ है तब से कारण निरन्तर जारी है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में होने से श्रवणाधिकार प्राप्त है एवं प्रार्थना पत्र में मियाद जैसा प्रश्न निहित नहीं है एवं प्रार्थना पत्र पर उचित न्याय शुल्क चस्पा है एवं माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में पारित निर्णय के पश्चात् कमिश्नर नियुक्ति की विधिक शुल्क जमा करवाने हेतु प्रार्थीगण तैयार व तत्पर है। प्रार्थी संख्या 1 व 2 कि संयुक्त खातेदारी कि आराजी ग्राम पाटन के खसरा नम्बर 949/499 रकबा 0.6472 हैक्टेयर जिसमे प्रार्थी संख्या 1 व 2 संयुक्त खातेदार हैं। जिसमें प्रत्येक का 1/2—1/2 हिस्सा निहित हैं एंव प्रार्थर्थी संख्या 1 व् 3 कि ग्राम पाटन में आराजी खसरा नम्बर 945/496 हैक्टेयर 0.3479 भूमि है जिसमें प्रत्येक का 1/2—1/2 हिस्सा निहित हैं एंव प्रार्थी संख्या 4 व 5 कि सयुंक्त आराजी ग्राम पाटन के खसरा नम्बर 948/499 रकबा 0.4045 जिसमें प्रार्थी संख्या 4 व 5 का 1/2—1/2 हिस्सा निहित हैं प्रार्थी संख्या 6 व 7 कि संयुक्त खातेदारी कि आराजी ग्राम पाटन के खसरा नम्बर 956/499 रकबा 0.3236 व खसरा नम्बर 959/499 रकबा 0.3641 हैक्टेयर भूमि है जिसमे प्रत्येक का 1/2—1/2 हिस्सा निहित है इसी अनुसार मोके पर काबिज काश्त हैं। उपरोक्त आराजीयात कि भूमि का नजरी नक्शा/राजस्व ट्रेस / जमाबन्दी के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढ़ी करने के प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 04.03.2025 को दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 03,05,06,07,08,12 एवं 14 से 17 बावजूद तामिली के अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। अप्रार्थी संख्या 01, 02, 04 ,09 ,10, 11, 13 की ओर से वकील श्री भवानी सिंह उपस्थित होकर दिनांक 28.01.2026 को बहस में निवेदन किया कि यदि राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

3. दिनांक 28.01.2026 को हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी के अनुसार वादग्रस्त भूमि का का नजरी नक्शा / राजस्व ट्रेस / जमाबंदी अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करने के प्रार्थी के पक्ष मे आदेश प्रदान करने की कृपा करावे एवं तहसीलदार किशनगढ को निर्देशित किया जावे कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना त्वरित गति से की जावे।

4. हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से ताईद है कि वादअधीन भूमि ग्राम पाटन स्थित भूमि खसरा संख्या 949/499 रकबा 0.6472 हैक्टेयर, खसरा संख्या 945/496 रकबा 0.3479 हैक्टैयर, खसरा संख्या 948/499 रकबा 0.4045 हैक्टेयर ,खसरा संख्या 956/499 रकबा 0.3236 हैक्टैयर, 959/499 रकबा 0.3461 हैक्टैयर भूमि प्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजी है तथा हल्का पटवारी के द्वारा दिनांक 31.01.2025 को वादअधीन भूमि का सीमाज्ञान किया गया है। प्रार्थी उक्त आराजी ग्राम पाटन स्थित भूमि खसरा संख्या 949/499 रकबा 0.6472 हैक्टेयर, खसरा संख्या 945/496 रकबा 0.3479 हैक्टैयर, खसरा संख्या 948/499 रकबा 0.4045 हैक्टेयर ,खसरा संख्या 956/499 रकबा 0.3236 हैक्टैयर, 959/499 रकबा 0.3461 हैक्टैयर के रिर्कोडेड खातेदार काश्तकार होने से भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी हैं, अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू.राज. अधि. को स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू.राज. अधि. को स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पाटन स्थित भूमि खसरा संख्या 949/499 रकबा 0.6472 हैक्टेयर, खसरा संख्या 945/496 रकबा 0.3479 हैक्टैयर, खसरा संख्या 948/499

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

...बा 0.4045 हैक्टेयर ,खसरा संख्या 956/499 रकबा 0.3236 हैक्टैयर, 959/499 रकबा 0.3461 हैक्टेयर भूमि का मौके पर नाप चौप कर पत्थरगढ़ी करने हेतु तहसीलदार किशनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि वे मौके, पर दोनो पक्षों की उपस्थिति में नाप चौप कर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करे। कमिश्नर फीस रूपये 2000/— अक्षरे दो हजार रू0 तय किये जाते है। तहसीलदार किशनगढ को कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये जातें है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर शुल्क जमा करवाने के उपरान्त समस्त पडोसी खातेदारान को सूचना पत्र जारी करने के उपरान्त मौके पर पत्थरगढी की कार्यवाही करें । पत्थरगढी की कार्यवाही में किसी भी प्रकार की बेदखली अथवा कब्जे छुडवाने से संबंधित कार्यवाही नहीं करें। यदि मौके पर प्रार्थी की भूमि अथवा निकटवर्ती राजकीय भूमि पर आंशिक या पूर्ण भाग पर किसी अन्य का कब्जा हो तो मौका पर्चा में इसका उल्लेख करते हुये प्रार्थी को नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु सूचित करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 28.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

28/1/26

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़